(2)

संख्या-ई-८-174//दस-१९९६-६४८/९४

प्रेषक,

श्री माता प्रसाद,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/
विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

नियंत्रण) अनुभाग-८ लखनऊः दिनांकः 23 अप्रैल, १९९६

विषयः- शासकीय निर्माण कार्यों का सम्पादन ।

महोदय,

शासकीय निर्माण कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-ई-८-१७३७/दस -१९९५, दिनांक १७-११-९५ जारी किया गया था एवं निर्माण एजेंसी के चयन हेतु विशिष्ट व्यवस्था निर्धारित थी । इस प्रकरण पर पुनर्विचार किया गया है और कार्यहित में उक्त शासनादेश में निम्नलिखित संशोधन का निर्णय लिया गया है:-

संशोधित प्रस्तर २(१) ।

शासकीय निर्माण कार्य हेतु एजेंसी का चयन

(क) रू.१२५ लाख तक की लागत के भवनों का निर्माण कार्य किसी भी उपयुक्त शासकीय एजेंसी द्वारा कराया जा सकता है। इसमें मानकीकृत भवन और गैर-मानकीकृत भवन दोनों सम्मिलित हैं। यह अवश्य देख लिया जाय कि निर्माण कार्य के सन्तोषजनक सम्पादन हेतु तकनीकी जनशक्ति, स्ट्रक्चरल एवं आर्किटक्चरल निपुणता हेतु पर्याप्त व्यवस्था हो ।

(ख) रू.१२५ लाख लागत के ऊपर के सभी भवनों का निर्माण कार्य अनिवार्यतः लोक निर्माण विभाग अथवा राजकीय निर्माण निगम से ही कराया जायेगा ।

(ग) उपरोक्त प्रतिबन्ध किसी निर्माण एजेंसी के विभागीय कार्यो के लिये लागू नहीं होगा ।

(घ) निर्माण कार्यो की लागत एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि :-

(१) निर्माण कार्य के आगणन पूर्णतः लोक निर्माण विभाग की दरों पर आधारित हों,

(२) गुणनिर्दिष्टियों (स्पेशीफिकेशन) में अनावश्यक उच्चीकरण नही हो एवं मितव्ययिता पर महत्व दिया जाय,

(३) निर्माण एजेंसी गैर विभागीय कार्य उसी सीमा तक लें जहाँ तक उनकी प्रापेक्षीय क्षमता हो। इस बिन्दु का परीक्षण सम्बन्धित विभाग निर्माण एजेंसी का चयन करते समय अवश्य करलें।

२- पूर्व शासनादेश संख्या -ई-८-१७३७/दस-१९९५ के प्रस्तर २(II), (III), (IV), (V) एवं प्रस्तर ३ की व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी ।

३- विभिन्न एजेंसी द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्य का अनुश्रवण भी अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेंसी नोडल अधिकारी मनोनीत करेंगी एवं विभागीय सचिव के स्तर पर कम से कम त्रैमासिक समीक्षा बैठक अवश्य आहूत की जायेगी । निर्माण एजेंसी के प्रबन्ध निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि विभागीय सचिव के स्तर पर आहूत समीक्षा बैठक में समस्त उपयुक्त बिन्दुओं पर पर्याप्त सूचना के साथ नोडल अधिकारी प्रतिनेधित्व करें।

४- उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सभी सम्बन्धित विभाग सुनिश्चित करेंगे ।

भवदीय,

(माता प्रसाद)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित:-

(१) प्रमुख अभियंता , लोक निर्माण विभाग

(२) मुख्य अभियंता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा

(३) प्रबन्ध निदेशक, उ. प्र. राजकीय निर्माण निगम

(४) प्रबन्ध निदेशक, जल निगम

(५) आयुक्त, उ. प्र. आवास एवं विकास परिषद

(६) प्रबन्ध निदेशक, समाज कल्याण निगम

आज्ञा से,

(नृपेन्द्र मिश्र)
प्रमुख सचिव, वित्त